न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/71/2025	2025/142	03.06.2025	20.04.2026

1. फूलसिंह पुत्र मानसिंह
2. महावीरसिंह पुत्र फूलसिंह
3. ब्रहमप्रकाश पुत्र फूलसिंह
4. सुरेन्द्र पुत्र फूलसिंह जाति अहीर निवासीयान ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज.

—अपीलाण्ट

बनाम

1. चिम्मी पुत्री खिल्लू
2. राहुल पुत्र हीरू पौत्र खिल्लू जाति बाल्मिक निवासीयान ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर राज.
3. प्यारेलाल पुत्र खिल्लू
4. रतिराम पुत्रियान खिल्लू
5. माया पत्नि हीरू
6. दीपा
7. पूजा
8. काजल
9. सुनिता पुत्रियान स्व. हीरू पौत्रियान खिल्लू जाति बाल्मिक निवासीयान ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर राज.

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

—असल रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर दिनांक 25/01/2023 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 183—बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वाके ग्राम चण्डीगढ, तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—

01—श्री गिर्राज प्रसाद —वकील अपीलान्टान
02—श्री जनार्दन शर्मा —वकील रेस्पोडेन्टान
03—श्री दीपक मीना (पेरोकार सरकार) —राजकीय अधिवक्ता

—:निर्णयः—

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ के निर्णय दिनांक 25.01.2023 प्रार्थना पत्र 183 बी स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 चिम्मी पुत्री खिल्लू व 02 राहुल पुत्र हीरू पौत्र खिल्लू जाति बाल्मिक निवासीयान निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर राज. द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 530 रकबा 1.19 हैक्टर वाके ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज. मे स्थित है, जो आराजी प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजी है। विवादित आराजी मिन प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 05 लागायत 12 के पिता व दादा खिल्लू बाल्मिक पुत्र छोटा जाति बाल्मिक ग्राम निवाली तहसील रामगढ के नाम थी। जिनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजी का विरासत का इंतकाल हमारे नाम दर्ज हो चुका है। विवादित आराजी पर कभी भी किसी प्रकार का कोई विवाद नही रहा और असल अप्रार्थीगण विवादित आराजी से बेवास्ता शखा है। उपरोक्त विवादित आराजी पर मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 05 लागायत 12 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। असल अप्रार्थीगण मुंहजोर व लडाकू खूंखार प्रवृति के व्यक्ति है जो जमीनो पर नाजायज कब्जा करते है तथा विवादित आराजी प्रार्थीगण की आराजी है। असल अप्रार्थीगण की आराजी पर नाजायज कब्जा करने की फिराक मे है। प्रार्थीगण की आराजी से असल अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोंकार नही है। असल अप्रार्थीगण जिस पर अवैध रूप से लट्ठ के बल पर कब्जा जमाना चाहते है तथा असल अप्रार्थीगण जो कि स्वर्ण जाति से संम्बन्ध रखते है तथा लडाकू व खुंखार किस्म के है, जो प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी मे मिलाना चाहते है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। जिनके द्वारा अप्रार्थीगण को मना करने पर अप्रार्थीगण गाली गलौच करते है व मारपीट करने पर उतारू रहते है। दिनांक 10/07/2022 को मिन प्रार्थीगण ने असल अप्रार्थीगण से ऐसा करने मना किया तो असल अप्रार्थीगण मारपीट करने पर आमदा हो गये। असल अप्रार्थीगण ने मिन प्रार्थीगण के विरूद्ध एक नाजायज सा गिरोह बनाया हुआ है जो आये रोज मिन प्रार्थीगण की गैरखातेदारी की आराजी में लट्ठ के बल पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त करने मे रूकावट व मजाहमत पैदा की और प्रार्थीगण की आराजी की डोल तोडकर जबरन अपनी आराजी मे मिला लिया और प्रार्थीगण को वहा से भगा दिया और कहा कि साले भंगियो तुम दुबारा इस आराजी पर मत आना वर्ना तुम्हे जान से खत्म कर इसी आराजी मे गाड दिया जावेगा और अब हम तुम्हे इस आराजी पर काश्त नहीं करने देंगे। इस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। असल अप्रार्थीगण ने मिन प्रार्थीगण की विवादित आराजी पर नाजायज कब्जा कर अपनी आराजी में मिला लिया और प्रार्थीगण को गालिया दी। उपरोक्त विवादित आराजी ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज. मे स्थित है जो श्रवण योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 530 रकबा 1.19 हैक्टर वाके ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज. मे स्थित है, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को वापिस दिलवाया जावे व अप्रार्थीगण द्वारा किये गये कृत्य के लिए उसे सिविल कारावास व धन दण्ड की सजा से दण्डित किया जावे या अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो प्रदान की जावे इत्यादि ।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे इस न्यायालय के पत्रांक 586–587 दिनांक 20/07/2022 एवं पत्रांक 788–89 दिनांक 28/09/2022 द्वारा भू.अ.नि. रामगढ एवं पटवारी हल्का निवाली से नियमानुसार जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। दिनांक 28/09/2022 को भू. अ.नि. रामगढ एवं पटवारी हल्का निवाली की संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे अंकन किया कि वाके ग्राम चण्डीगढ प. ह. निवाली के आराजी खसरा नम्बर 530 रकबा 1.19 हैक्टर की जांच रिपोर्ट हेतु भू.अ.नि. रामगढ के मौके पर पहुँचा। मुताबिक राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072–76 के ग्राम चण्डीगढ के खाता संख्या 243 मे आराजी खसरा नम्बर 530 रकबा 1.19 हैक्टर किस्म चाही सोयम चिम्मी, भिण्डो, पुत्री खिल्लू, प्यारेलाल, रत्तीराम, हीरू पुत्रान खिल्लू जाति भंगी साकिन निवाली गैरखातेदार के नाम दर्ज रिकोर्ड है। मौके पर उपस्थित लोगो से पूछताछ करने पर उपस्थितो ने उक्त खसरा नम्बर पर महावीर पुत्र फूलसिंह जाति यादव का कब्जा काश्त होना बताया। मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर बाजरे की फसल बोकर काट ली गई है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 03, 04 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। बाद नोटिस तामील उपरांत अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 03, 04 दिनांक 11/09/2022 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित हुए। जिसके पश्चात् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। जिस निर्णय दिनांक 25/01/2023 से व्यथित होकर यह अपील अपीलान्टस प्रस्तुत की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को बिना सुनवाई साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो कि विरूद्ध है। असल रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी खसरा नम्बर 530 रकबा 1.19 हैक्टर वाके ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ के खातेदार नही है और धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र केवल खातेदार ही प्रस्तुत कर सकता है। रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी के गैरखातेदार है, लेकिन अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर गौर नही किया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09/11/2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 530 रकबा 1.19 हैक्टर वाके ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ में स्थित है। जिस आराजी की बाबत उपजिलाधीश रामगढ ने 175 की कार्यवाही करते हुये विवादित आराजी को दिनांक 29/07/2010 को सिवायचक करने के आदेश पारित कर दिया। जिसके बाद रेस्पोडेन्ट ने उक्त आराजी की बाबत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के यहाँ अपील की। जिस अपील को दिनांक 30/11/2017 को रिमाण्ड कर दिया और दोनो पक्षो को सुनकर निर्णय पारित करने के आदेश पारित कर दिये, जो कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, रामगढ जिला अलवर के न्यायालय मे जैरतजबीज है। इस तथ्य को छिपाते हुए न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ही जबाब मानकर प्रार्थना पत्र धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निर्णय गलत प्रकार से पारित कर दिया। रेस्पोडेन्टस के पिता व दादा खिल्लू पुत्र छोटा ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1550 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 530 रकबा 1.19 हैक्टर वाके ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज. को दिनांक 14/07/1985 को जरिये इकरारनामा 30,550/– रूपये मे मांगेलाल पुत्र मूंगाराम जाति चमार निवासी ग्राम घाटा शेर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा को विक्रय किया था। मांगेलाल पुत्र मूंगाराम चमार ने 32,900/– रूपये मे दिनांक 20/06/1987 को फूलसिंह पुत्र मानसिंह अहीर निवासी चण्डीगढ तहसील रामगढ को जरिये अनुबंध पत्र इकरारनामा बेचान फूलसिंह पुत्र मानसिंह अहीर निवासी चण्डीगढ का कब्जा है और फूलसिंह का दिनांक

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

20/06/1987 से विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है और फूलसिंह पुत्र मानसिंह को उक्त आराजी को क्रय किये हुए अर्सा करीब 36 साल हो चुके है और रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 20/07/2022 को अर्साकरीब 35 साल बाद प्रस्तुत किया है। इस कारण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर था और अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया और रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है। अपीलान्टस को निर्णय दिनांक 25/01/2023 की जानकारी पूर्व मे नही रही है, क्योकि दिनांक 25/01/2023 को अपीलान्टस अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलान्टस की गैर हाजिरी दर्ज कर उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही करके उसी दिन निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्टस दिनांक 15/03/2023 को न्यायालय तहसील मे गया और अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया और प्रार्थना की कार्यवाही के बारे मे जानकारी की तो उन्होने बताया कि प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 25/01/2023 को हो चुका है और प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मंजूर कर लिया गया है। जिस पर उसी दिन दिनांक 15/03/2023 को नकल हेतु आवेदन किया। जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 20/03/2023 को प्राप्त हुई है। जिस कारण निर्णय दिनांक 25/01/2023 से दिनांक 14/03/2023 तक का समय जानकारी के अभाव मे जानकारी ना होने के कारण बवजह लाईन्मी होने के कारण व जानकारी की दिनांक 15/03/2023 से आज तक का समय अन्दर अवधि होने के कारण अपील मियाद मे शुमार फरमाई जावे। जिस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद अधिनियम अल्हदा से प्रस्तुत है। वकील अपीलांट ने अपने वाद के समर्थन में RRD2014 पेज सं. 404, RRD2010 पेज सं. 132 RRT2019I पेज सं. 281 एवं RRT2008I पेज सं. 28 RRT2014I पेज सं.913 पेश की गई।

अतः अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राज. का निर्णय दिनांक 25/01/2023 प्रार्थना पत्र संख्या 08/2022 बअनुवान चिम्मी वगैरा प्रार्थीगण बनाम खिल्लू वगैरा अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे पारित किया गया है, निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र 1. चिम्मी पुत्र खिल्लू 2. राहुल पुत्र हीरू पौत्र खिल्लू जाति वाल्मिक निवासी निवाली तहसील रामगढ़ जिला अलवर द्वारा अंतर्गत धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। प्रार्थी का आराजी खसरा नं. 530 रकबा 1.19 है० वाके ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है। विवादित आराजी मिन रेस्पोडेंट की रिकॉर्डेड गैर खातेदारी की आराजी है जो पूर्व में रेस्पो. के पिता व दादा खिल्लू वाल्मिक पुत्र छोटा जाति वाल्मिक ग्राम निवाली तहसील रामगढ़ के नाम थी जिनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजी की विरासत का इंतकाल हमारे नाम दर्ज हो चुका है। विवादित आराजी पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है और अपीलांट विवादित आराजी के बेवास्ता शख्स हैं। अपीलांट द्वारा मिन रेस्पोडेंट की विवादित आराजी पर नाजायज कब्जा कर जबरन अपनी आराजी में मिला लिया है अपीलांट स्वर्ण जाति का सदस्य है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना प्रदर्शित है एवं भू०अ०नि० रामगढ एवं पटवारी हल्का निवाली की संयुक्त जाँच रिपोर्ट दिनांक 28.09.2022 से स्पष्ट है कि वाके ग्राम चण्डीगढ के आराजी खसरा नं. 530 रकबा 1.19 है० मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2072–76

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

ग्राम चण्डीगढ़ के खाता सं. 243 में चिम्मी, भिंडो पुत्री खिल्लू, प्यारेलाल, रतिराम, हीरू पुत्रान खिल्लू जाति भंगी साकेन निवाली गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर उपस्थितों ने उक्त खसरा नं पर महावीर पुत्र फूलसिंह जाति यादव का कब्जा काश्त होना बताया। प्रभात और अन्य बनाम कजोड़ और अन्य 1996 आरआरडी 120 एवं अब्दुल गफ्फार खान बनाम विधिक प्रतिनिधी ऑफ कंवर लाल 1996 आरआरडी 153, पृष्ठ सं. 156 के द्वारा दृष्टांत यह विधि सुस्थापित है कि पक्षकारों के बीच किसी विवाद को लेकर कोई नियमित वाद पूर्व में विचाराधीन भी हो तो धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के विरूद्ध सरसरी जांच करके बेदखल किया जा सकता है। यदि किसी एससी के व्यक्ति को भू–आवंटन से गैर खातेदारी हो गई हो और उसको खातेदारी नहीं मिली हो तथा उसकी भूमि पर किसी अन्य अतिक्रमी ने कब्जा कर रखा है तो उस हालत में भी यदि अतिक्रमण सिद्ध हो जाये तो अतिक्रमी को 183 बी के तहत हटाया जा सकता है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिंतन मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का एवं प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2023 के विरूद्व जानकारी होने पर वाद की नकल आदि प्राप्त कर दिनांक 20.03.2023 को पेश की गयी है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौजूदा अपील व प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद कानून लगभग 3 माह की देरी से पेश की है उक्त विवादित अपीलीय प्रकरण में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट का मुख्य कथन है कि असल रेस्पो. विवादित आराजी खसरा नं. 530 रकबा 1.19 है० वाके ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ़ के खातेदार नहीं है और धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र केवल खातेदार ही प्रस्तुत कर सकता है। रेस्पो. विवादित आराजी के गैर खातेदार हैं लेकिन अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर गौर नहीं किया गया और असल रेस्पो. का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है। इस आराजी बाबत उक्त जिलाधीश रामगढ ने 175 आरटी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी को दिनांक 29.07.2010 को सिवायचक करने के आदेश पारित कर दिये गये जिसके बाद रेस्पो. ने उक्त आराजी बाबत राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां अपील की जिस अपील को दिनांक 30.11.2017 को रिमाण्ड कर दिया और दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। उक्त प्रकरण उपखण्ड न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त विवादित आराजी को जरिये इकरारनामा 30550/– रूपये में मांगीलाल पुत्र मूंगा जाति चमार निवासी घाटा शेर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा को विक्रय किया गया। मांगीलाल पुत्र मूंगा चमार ने 32900 रूपये में दिनांक 20.06.1987 को फूलसिंह पुत्र मानसिंह अहीर निवासी चण्डीगढ तहसीलदार रामगढ को जरिये अनुबंध पत्र इकरारनामा का बेचान कर कब्जा दे दिया और तब से फूलसिंह का दिनांक 20.06.1987 से विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। अपीलांट करीब 36 साल से उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर भारी भूल

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि रेस्पो. विवादित आराजी खसरा नं. 530 रकबा 1.19 है० वाके ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर के गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत नजीरों के अनुसार पक्षकारों के बीच किसी अन्य विवाद को लेकर यदि कोई नियमित वाद पूर्व में विचाराधीन भी हो तो भी धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के विरूद्ध सरसरी जांच करके बेदखल किया जा सकता है। यदि किसी एससी के व्यक्ति को भू–आवंटन से गैर खातेदारी हो गई हो और उसको खातेदारी नहीं मिली हो तथा उसकी भूमि पर किसी अन्य अतिक्रमी ने कब्जा कर रखा है तो उस स्थिति में भी यदि अतिक्रमण सिद्ध हो जाये तो अतिक्रमी को 183 बी के तहत हटाया जा सकता है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी में वर्णित प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाती की व्यक्ति की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा अतिक्रमण मात्र की परिभाषा में आता है और इस प्रकरण में अपीलांट स्वर्ण जाति (यादव) का व्यक्ति होने के कारण रेस्पोडेंट की उक्त नजीर प्रकरण में चस्पा होना पाया जाता है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 183 बी स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर दिनांक 25/01/2023 वाके ग्राम रामगढ जिला अलवर को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)